

[2025] 10 एस.सी.आर. 152 : 2025 आईएनएससी 1109

राजुल मनोज शाह उर्फ राजेश्वरी रसिकलाल सेठ

बनाम

किरणभाई शकराभाई पटेल और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 11781/2025)

12 सितंबर 2025

[पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा* और

जॉयमाल्या बागची, जे. जे.]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा दायर घोषणा और निषेधाज्ञा के मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित बयान में संशोधन करने और प्रति-दावा दायर करने के लिए दायर अंतरिम आवेदन को खारिज करने वाले सिविल न्यायालय के आदेश को उलटने में सही था; और एक सह-प्रतिवादी के खिलाफ प्रति-दावा दायर करने की वैधता।

मुख्य बिंदु

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश VIII, नियम 6ए - प्रतिवादी द्वारा प्रति-दावा - अपीलकर्ता द्वारा अपनी सिस्टर इन लॉ-प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध दायर घोषणा का वाद जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि उसे उसकी सहमति के बिना वाद संपत्ति को हस्तांतरित करने या उससे निपटने का कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किए गए बिक्री करार को शून्य और अमान्य घोषित करने की मांग की गई। इसके बाद, सिविल न्यायालय के नाज़िर -प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिस्थापित किया गया और प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में नियुक्त किया गया - दिनांक 26.07.2021 को, प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित बयान में संशोधन की मांग करते हुए प्रति-दावा दायर करने के लिए आवेदन किया, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 को शेष प्रतिफल स्वीकार करने और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित उक्त बिक्री समझौता के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्देश देने और वाद संपत्ति का विभाजन करने की प्रार्थना की गई - विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रति-दावा सुनवाई योग्य नहीं है - हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के आवेदन को स्वीकार कर लिया और उसे प्रति-दावा दायर करने की अनुमति दे दी - शुद्धता :

* लेखक

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध प्रति-दावा दायर करने की अनुमति देकर, न कि अपीलकर्ता के विरुद्ध, विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटने में त्रुटि की। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मांगी गई विशिष्ट अनुपालन की राहत को प्रति-दावा के रूप में नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि यह अपीलकर्ता के विरुद्ध निर्देशित नहीं है, बल्कि यह विशेष रूप से सह-प्रतिवादी के विरुद्ध निर्देशित है - प्रतिवादी संख्या 2 प्रति-दावा के माध्यम से विशिष्ट अनुपालन की प्रार्थना उठाने के लिए अनाधिकृत है - इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 हालांकि यह प्रस्तुत करता है कि उसने न केवल विशिष्ट अनुपालन की राहत का दावा किया है, बल्कि समझौते के तहत वह जिस हिस्से का हकदार है उसे अलग करने के लिए वाद संपत्ति के विभाजन की भी मांग की है - प्रतिवादी संख्या 2 को सबसे पहले संपत्ति पर दावा करने का अधिकार स्थापित करना होगा, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की संपत्ति के विरुद्ध सफल होने तक अनुपस्थित है और उसके बाद ही अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रति-दावा स्थापित करने का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है - मुद्दे दिनांक 12.02.2019 को तैयार किए गए थे और प्रति-दावे के लिए आवेदन लगभग दो साल बाद, 2021 में दायर किया गया था - प्रतिवादी संख्या 2, 21.10.2011 दिनांकित एक समझौते के विशिष्ट अनुपालन की मांग कर रहा है, जिसमें बारह महीने के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित करने का प्रावधान था - प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई कार्रवाई नहीं की - किसी भी स्थिति में, विक्रय विलेख के निष्पादन की मांग करने के लिए कार्रवाई का अगला कदम जनवरी 2012 के ठीक बाद उठाया गया जब अपीलकर्ता ने तथाकथित बिक्री समझौता को रद्द करने की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया - प्रतिवादी संख्या 2 ने कुछ नहीं किया - केवल अक्टूबर 2013 में अपने विक्रेता की मृत्यु के बाद और फरवरी 2019 में मुद्दों को तैयार करने के बाद कि प्रतिवादी संख्या 2 ने मुकदमा दायर करने के नौ साल बाद ही आवेदन दायर करने का फैसला किया, जो मुद्दों को तैयार करने के दो साल बाद था। [पैरा 22, 23, 25, 27]

उद्धृत वाद कानून

रोहित सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य [2006] पूरक 7 एससीआर 278: (2006)

12 एससीसी 734; अशोक कुमार कालरा बनाम विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री [2019]

17 एस. सी. आर. 214: (2020) 2 एस. सी. सी. 394- पर भरोसा किया ।

मुनिशामप्पा बनाम एम. रामा रेड्डी, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1701; दामोदर नारायण सावले बनाम तेजराव बाजीराव म्हस्के [2023] 6 एस. सी. आर. 175:

(2023) 19 एस. सी. सी. 175; सत्येंद्र बनाम सरोज [2022] 13 एस. सी. आर. 342; (2022) 17 एस. सी. सी. 154; जग मोहन चावला बनाम डेरा राधा स्वामी सतसंग [1996] पूरक 2 एससीआर 509; (1996) 4 एससीसी 699; किशोर कुमार खेतान और अन्य बनाम प्रवीण कुमार सिंह [2006] 2 एससीआर 176: ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1474- संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य शब्दों की सूची

प्रति दावा; बिक्री विलेख का निष्पादन; घोषणा के लिए वाद; बिक्री समझौता; लिखित विवरण में संशोधन; विशिष्ट प्रदर्शन; दावा करने का अधिकार।

वाद उत्पत्ति

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: दीवानी याचिका सं 11781/2025
एससीए सं. 12701/2021 में अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय के 16.01.2023 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा

पक्षों के लिए उपस्थिति

अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए:

रितिन राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, शमिक शिरीषभाई संजनवाला, कुणाल व्यास, आदित्य त्रिपाठी।

अधिवक्ता प्रतिवादियों के लिए:

प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, अलापति साहित्य कृष्ण, ऋषभ एन. कपाड़िया, सुश्री हेतवी केतन पटेल, सुश्री तानिया बंसल, मलक मनीष भट्ट।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा, न्यायमूर्ति।

1. अवकाश अनुदत्त।
2. वर्तमान अपील गुजरात उच्च न्यायालय¹ के निर्णय और आदेश के विरुद्ध है जो सिटी दीवानी न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा पारित उस अंतरिम आवेदन² को खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध है जिसे प्रतिवादी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लिखित बयान में

संशोधन करने और अपीलकर्ता द्वारा दायर घोषणा और निषेधाज्ञा के मुकदमे में प्रति-दावा दायर करने के लिए दाखिल किया गया था।

3. **तथ्य:** अपील दायर करने के लिए प्रेरित करने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता ने, 2012 में, यह आरोप लगाते हुए एक मूल वाद दायर किया कि प्रश्नगत संपत्ति, जो अहमदाबाद में स्टेडियम चार रास्ता के पास स्थित एक सहकारी गृह निर्माण समिति में एक बंगला है, उसके पिता की थी और उनके निधन पर, उक्त संपत्ति संयुक्त रूप से उसकी और उसके भाई के स्वामित्व में आ गई। हालांकि, उसके भाई के निधन के बाद, संपत्ति संयुक्त रूप से अपीलकर्ता और उसकी भाभी/प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व में आ गई थी। जनवरी, 2012 में, जब अपीलकर्ता को पता चला कि उसकी भाभी ने संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के अविभाजित हिस्से का एक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 / प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बेचने के लिए सहमति व्यक्त की है, तो अपीलकर्ता ने यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि उसकी भाभी, प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी सहमति के बिना संपत्ति को हस्तांतरित करने या उससे निपटने का कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 21.10.2011 के बिक्री समझौता को शून्य और अमान्य घोषित किया जाए।
4. 12.10.2013 को, मूल प्रतिवादी संख्या 1 का वाद के निपटारे के लंबित रहते हुए निधन हो गया। इसके बाद, 23.07.2017 को, अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के तथ्य की घोषणा की गई और उसे पक्षकारों की सूची से हटाने की प्रार्थना की गई। विचारण न्यायालय ने दिनांक 24.10.2019 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को हटाने के लिए अपीलकर्ता के आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसी बीच, 10.10.2019 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908³ के आदेश XXII नियम 4ए के तहत मूल प्रतिवादी संख्या 1 को न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी से प्रतिस्थापित करने की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 15.11.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
5. 24.10.2019 और 15.11.2019 दिनांकित आदेशों से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष दीवानी आवेदन दायर किया। 10.02.2020 को, उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर एक आदेश पारित किया, जिसके तहत दिनांक 24.10.2019 और 15.11.2019 के आदेशों को रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने न्यायालय अधिकारी-सिटी दीवानी न्यायालय के नाज़िर-प्रतिवादी संख्या

2 को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में प्रतिस्थापित और नियुक्त किया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने 04.03.2020 को एक संशोधित शिकायत भी दायर की।

6. वर्तमान अपील दायर करने के लिए कार्यवाही तब शुरू हुई जब प्रतिवादी संख्या 2 ने 26.07.2021 को एक प्रति-दावा जोड़कर लिखित बयान में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित की प्रार्थना की गई: क) नाज़िर/प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाए कि वह शेष प्रतिफल स्वीकार करे और दिनांक 21.10.2011 के बिक्री समझौता के अनुसरण में अविभाजित हिस्से के लिए विक्रय विलेखनिष्पादित करे, और ख) वाद संपत्ति का विभाजन अधिनियम, 1893 के अनुसार किया जाए।
7. विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 05.08.2021 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 ने यह आवेदन बहुत लंबे समय के बाद दायर किया है और यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है कि मुद्दों को 12.02.2019 को ही तैयार किए जाने के बाद ऐसा आवेदन दायर किया गया है। विचारण न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि प्रतिवादी, मृत प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध, जिसका प्रतिनिधित्व न्यायालय के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, दिनांक 21.10.2011 के बिक्री समझौता के विशिष्ट अनुपालन की मांग नहीं कर सकता है, वह भी वादी द्वारा दायर किए गए वाद में। इस न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण करते हुए, विचारण न्यायालय ने यह माना कि सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रति-दावा संधार्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 ने अनुच्छेद 226/227 के तहत विशेष सिविल आवेदन में इस आदेश को चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने, हमारे समक्ष विचाराधीन आदेश द्वारा, याचिका को स्वीकार कर लिया।
8. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन को स्वीकार कर लिया और उसे अपना प्रति-दावा दायर करने की अनुमति दे दी। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है;

“ 13.13. इस न्यायालय के विचार से, उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, यहां याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाना आवश्यक है और प्रदर्श 107/108 के तहत आवेदन में मांगी गई प्रार्थनाएं यहां याचिकाकर्ता द्वारा तभी मांगी जा सकती थीं, जब सिटी सिविल न्यायालय के नाज़िर को प्रश्नगत संपत्ति के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया होता। नाज़िर की नियुक्ति इस न्यायालय द्वारा विशेष सिविल आवेदन संख्या 21979/2019 में केवल दिनांक 10.02.2020 के आदेश द्वारा की गई थी और उसके तुरंत बाद, यहाँ याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्श 107/108 के तहत आवेदन दायर किए गए थे।

यह कहा जा सकता है कि वाद हेतुक मुद्दे तैयार होने के बाद उत्पन्न हुआ था, और इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में, याचिकाकर्ता को देरी के आधार पर गैर-उपयुक्त नहीं माना जा सकता था।

13. 14. विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी निकाला है कि यहां याचिकाकर्ता ने सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रति-दावा दायर करने का विकल्प चुना है और इसे संधार्य नहीं माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां याचिकाकर्ता द्वारा सह-प्रतिवादी के विरुद्ध राहत की मांग नहीं की गई है, बल्कि सिटी सिविल न्यायालय के नाजिर - न्यायालय अधिकारी के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 - मूल वादी के विरुद्ध राहत की मांग की गई है। प्रति-दावा इस तथ्य के मददेनजर संधार्य है कि यह उपरोक्त संदर्भित प्रार्थनाओं के लिए, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2020 के आदेश द्वारा प्रशासक-नाजिर की नियुक्ति किए जाने के बाद दायर किया गया है।

14. यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, सिटी सिविल कोर्ट, अहमदाबाद द्वारा सिविल वाद संख्या 167/2012 में प्रदर्श 107/108 के तहत पारित दिनांक 05.08.2021 के आदेश को रद्द करते हुए, यहां याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 107/108 के तहत उक्त आवेदनों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है।

15. इस न्यायालय के विचार में, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाना आवश्यक है और तदनुसार इसे स्वीकार किया जाता है, साथ ही यह छूट दी जाती है कि यहां प्रतिवादी परिसीमा के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है और उसी पर निचली अदालत द्वारा कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। यह भी छूट दी जाती है कि संबंधित पक्ष सुनवाई के लिए मामले को उठाए जाने पर निचली अदालत के समक्ष सभी तर्क और अन्य मुद्दे रख सकते हैं जो विचाराधीन विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, जिसमें परिसीमा का मुद्दा भी शामिल है।

वर्तमान याचिका तदनुसार स्वीकृत है।”

(बल दिया गया)

9. व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने वर्तमान सिविल अपील दायर करके इस न्यायालय का रुख किया। हमने अपीलकर्ता की ओर से अन्य लोगों द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रितिन राय को सुना है। हमने प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रद्युम्न गोहिल और अन्य को भी सुना।
10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रितिन राय द्वारा की गई दो दलीलें सरल और सीधी हैं। पहला तर्क यह है कि मुकदमे में मुद्दों को तैयार किए जाने के बाद प्रति-दावा पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने अशोक कुमार कालरा बनाम विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री⁴ मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। दूसरा तर्क, जिसे विचारण न्यायालय ने भी स्वीकार किया था, यह है कि सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रति-दावा नहीं किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए, इस न्यायालय के निर्णय रोहित सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य⁵ पर भरोसा किया गया है।
11. प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रद्युम्न गोहिल ने अपने तर्कों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया और सीपीसी के आदेश VIII नियम 6ए की व्याख्या नवीन तरीके से की और 27वें विधि आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों पर भी भरोसा किया।
12. **विश्लेषण:** प्रति-दावा के लिए आवेदन दायर करने की वैधता और औचित्य से संबंधित मुद्दे पर विचार करने से पहले, जो मुकदमा दायर करने के 9 साल बाद दायर किया गया था, विशेष रूप से तब जब उक्त आवेदन से 3 साल पहले ही मुद्दे तैयार किए जा चुके थे, और सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रति-दावा प्रस्तुत करने की वैधता से संबंधित मुद्दे पर विचार करने से पहले, हम उस क्षेत्राधिकार पर विचार करेंगे जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय कर रहा था।
13. अपीलकर्ता ने वास्तव में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार किए जाने का तर्क उठाया, लेकिन किशोर कुमार खैतान और अन्य बनाम प्रवीण कुमार सिंह⁶ में इस न्यायालय के निर्णय के अंश को उद्धृत करने के बाद, निम्नलिखित तर्क देते हुए इसे खारिज कर दिया गया:

“13.10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त अनुपात पर विचार करते हुए, यद्यपि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय प्रतिबंधों से अवगत है, वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, हस्तक्षेप करना आवश्यक है, क्योंकि संशोधन और प्रति-दावे

की मांग करने का कारण विचारण न्यायालय द्वारा 12.02.2019 को मुद्दों को तैयार किए जाने के बाद उत्पन्न हुआ कहा जा सकता है। निस्संदेह, यहां याचिकाकर्ता द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश-8 नियम-6(ए)1 1) और आदेश-6 नियम-17 का आह्वान करते हुए, वाद में संशोधन और प्रति-दावा के लिए मांगी गई उपरोक्त प्रार्थनाएं, सामान्य तौर पर मुकदमे की शुरुआत के बाद और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इससे मुकदमे की कार्यवाही में देरी होगी, स्वीकार नहीं की जाती हैं, हालांकि, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश-6 नियम-17 और आदेश-8 नियम-6(ए)1 के प्रावधान भी यह अनुमति देते हैं कि उन्हें स्वीकार किया जाए, यदि वे पक्षों के बीच वास्तविक विवाद को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि यहां याचिकाकर्ता ने ऐसे तथ्य रिकॉर्ड पर रखे हैं जो मुकदमे की कार्यवाही के लिए नए हैं, और इसलिए, यहां याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थनाओं पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है।"

(बल दिया गया)

14. उपर्युक्त पैरा इस बात का संकेत नहीं देता है कि विचार के लिए अधिकार क्षेत्र की त्रुटि कैसे उत्पन्न हुई है। किसी भी स्थिति में, प्रति-दावे के आवेदन को खारिज करते समय विचारण न्यायालय द्वारा पाए गए तथ्यों का प्रासंगिक भाग, जिसे हम कानून और तथ्य दोनों पर सही मानते हैं, को तत्काल संदर्भ के लिए यहां नीचे उद्धृत किया गया है:

"8.

सी.पी.सी. आदेश-8, नियम-6 के उपरोक्त प्रावधान पर विचार करने पर, जब प्रतिवादी के लिए प्रति-दावे का कारण उत्पन्न होता है, तब प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध प्रति-दावा दायर किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रति-दावे के विवरण के अनुसार, उसने प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध प्रति-दावे की मांग की है और उसने वादी के विरुद्ध किसी भी राहत की प्रार्थना नहीं की है। यदि वाद, वादी द्वारा दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी उक्त वाद में सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रति-दावा दायर नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, प्रति-दावे के अन्य विवरणों का गहराई से अध्ययन करने पर, यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध इस प्रति-दावे में मांगी गई विशिष्ट पालन की राहत, विक्रय का वह समझौता है जो प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया था और

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उस संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया है। हालांकि, उक्त विक्रय समझौता वर्ष 2011 में अर्थात् 21/10/2011 को निष्पादित किया गया था। उस संबंध में विशिष्ट पालन के लिए उक्त प्रति-दावा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस वाद में वर्ष 2021 में दायर किया गया था। इस संबंध में, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद-54 के प्रावधानों पर विचार करने पर, विशिष्ट पालन की राहत समझौते के निष्पादन की तारीख से तीन साल के भीतर दायर की जा सकती है, और यदि समझौते में कोई शर्त निर्धारित की गई है, तो शर्त की तारीख से तीन साल के भीतर, और यदि कोई शर्त निर्धारित नहीं है, तो उस तारीख से तीन साल के भीतर जब समझौते के कार्यान्वयन से इनकार किया जाता है या जिस तारीख से वाद कारण उत्पन्न होता है। यह एक कानूनी सीमा है। सी.पी.सी. के आदेश-8 के नियम-6 के उप-नियम-3 के प्रावधान के अनुसार, जो प्रावधान दावे पर लागू होते हैं, वे ही प्रति-दावे पर भी लागू होते हैं। तदनुसार, सीमा अधिनियम के सभी प्रावधान प्रति-दावे पर लागू किए जा सकते हैं। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद-54 के अनुसार, इस मामले में प्रस्तुत विक्रय समझौता और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, श्री पटेल द्वारा विक्रय समझौता की शर्त संख्या 3 का हवाला देते हुए दिए गए अभिवेदन तथा उसका मूल्यांकन करने पर, विक्रय समझौता की शर्त संख्या 3 में स्वामित्व स्पष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद बारह महीने की अवधि निर्धारित की गई है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा है कि उक्त शीर्षक स्पष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। विक्रय समझौता वर्ष 2011 में निष्पादित किया गया था और वर्तमान वादी ने उक्त विक्रय समझौता को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए वाद दायर किया, अर्थात् वादी ने विक्रय समझौता को चुनौती दी है। उपरोक्त परिस्थितियों और इस तथ्य पर विचार करने पर कि प्रतिवादी संख्या 2 भी इस वाद में एक पक्षकार है और विक्रय समझौता प्रतिवादी संख्या 2 के संज्ञान में रहते हुए चुनौती दी गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद-54 के प्रावधान के अनुसार वाद का कारण उत्पन्न हुआ माना जा सकता है। इसके अलावा, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा-16 सी के अनुसार, तैयारी और इच्छा के प्रावधान को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या 2 पर आता है। चूंकि विक्रय समझौता प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में वर्ष 2011 में निष्पादित

किया गया था, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वाद दायर होने के बाद भी उसने स्वामित्व स्पष्ट प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा की होगी। इसके अलावा, उक्त वाद दायर होने के बाद भी, प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 के जीवित रहते हुए भी उक्त समझौते के कार्यान्वयन के लिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की और इस पुनरीक्षण आवेदन में ऐसा कोई अभिवचन भी नहीं किया गया है। प्रतिवादी का वर्तमान प्रति-दावा सं 2, सीमा अधिनियम के प्रावधान द्वारा पूरी तरह से वर्जित है।

9. इसके अलावा, इस मामले के महत्वपूर्ण तर्क पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 पहले ही वादी के वादपत्र के विरुद्ध अपना जवाब प्रदर्श-35 के माध्यम से दायर कर चुका है। उन्होंने उक्त उत्तर के साथ कोई प्रति-दावा प्रस्तुत नहीं किया है और वर्तमान में, उन्होंने उक्त प्रति-दावे को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। पूरे मामले के रिकॉर्ड पर विचार करते हुए कि क्या इतनी लंबी अवधि के बाद ऐसी अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इस अदालत ने प्रदर्श-83 के माध्यम से मुद्दे तैयार किए हैं। इसके पश्चात्, वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है और वर्तमान में, मामला प्रतिवादी द्वारा वादी के गवाह की जिरह के लिए रखा गया है। क्या प्रतिवादी संख्या 2 के प्रति-दावे को इतनी लंबी अवधि के बाद अभिलेख पर लिया जा सकता है या नहीं, इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अशोक कुमार कालरा बनाम विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री के निर्णय में, जो (2020) 2 - SCC - 394 में रिपोर्ट किया गया है, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि प्रति-दावे को प्रस्तुत करने के लिए सीपीसी के आदेश-8, नियम-6 में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तर जमा करने के बाद किसी भी समय प्रति दावे को रिकॉर्ड में लिया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय के पैरा-17 में यह निर्धारित किया गया है कि अदालत को एक साथ इन तथ्यों पर विचार करना होगा कि क्या जवाबी दावा समय सीमा के भीतर है या नहीं और क्या यह सीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है या नहीं। जबकि, पैरा-18 में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि वाद-बिंदु/मुद्दे निर्धारित होने के बाद प्रति-दावे को अभिलेख पर लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और यदि ऐसी अनुमति दी जाती है तो यह त्वरित सुनवाई के सिद्धांत को प्रभावित कर सकता है।

उपरोक्त तथ्यों का हवाला देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाद-बिंदु/मुद्दे निर्धारित होने के बाद प्रति-दावे को अभिलेख पर लेने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को अस्वीकार कर दिया है और उक्त निर्णय वर्तमान मामले पर पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है.....

इस प्रकार, एक बार जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित कर दिया गया है कि वाद-बिंदु निर्धारित हो जाने के बाद प्रति-दावे को अभिलेख पर लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और जैसा कि विचाराधीन मामले में चर्चा की गई है, वाद-बिंदु प्रदर्श-83 के माध्यम से निर्धारित किए जा चुके हैं। वादी का बयान भी प्रदर्श-84 के माध्यम से दर्ज किया गया है और उसी पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या. 2 के प्रति दावे को अभिलेख में नहीं लिया जा सकता है।

10. इस प्रकार, पूरे तथ्यों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में वाद-बिन्दुओं/मुद्दों को तैयार किया गया है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू की गई है, प्रतिवादी संख्या 2 ने बहुत लंबी अवधि के बाद वर्तमान आवेदन दायर किया है और यह सीमा के प्रावधानों से वर्जित है। "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, एक बार जब वाद-बिंदु/मुद्दे निर्धारित हो जाते हैं, तो प्रति-दावे को अभिलेख पर लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और सीपीसी के आदेश-8, नियम-6(ए) के प्रावधान के अनुसार, प्रतिवादी वादी के वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध प्रति-दावा करने का हकदार नहीं है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 का वर्तमान आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है, मैं इस आवेदन को अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ।"

(बल दिया गया)

15. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एकमात्र औचित्य पैरा 13.13 में देखा जा सकता है, जहाँ उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रतिवादी संख्या 2 के लिए वाद कारण केवल तभी उत्पन्न हुआ जब उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नाज़िर की नियुक्ति का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के फैसले में कोई अन्य तर्क नहीं है।
16. अब, हमें अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए दो मुद्दों पर विचार करना चाहिए।
17. सन्दर्भ: प्रतिवादी नं. 2 का विशिष्ट राहत का दावा अपीलार्थी के खिलाफ संधार्य नहीं है:

अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि सीपीसी के आदेश VIII नियम 6A के तहत, एक प्रति-दावा वादी के विरुद्ध राहत की मांग करते हुए दायर किया जाना चाहिए और इसे सह-प्रतिवादी के विरुद्ध दायर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक प्रति-दावे को अनिवार्य रूप से वादी के विरुद्ध प्रतिवादी के वाद कारण से संबंधित होना चाहिए। सरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रति-दावा दो महत्वपूर्ण अनुतोषों की मांग करता है, अर्थात्, विभाजन और विशिष्ट पालन। परिणामस्वरूप, यह तर्क दिया जाता है कि प्रति-दावा पूरी तरह से केवल एक सह-प्रतिवादी के विरुद्ध निर्देशित नहीं है, क्योंकि, ठीक उन्हीं राहतों की मांग करने वाले एक स्वतंत्र वाद में, अपीलकर्ता को अनिवार्य रूप से एक पक्षकार के रूप में शामिल करना होगा। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मांगी गई अंतिम राहत वादी की मृतक भाभी के सह-स्वामित्व की घोषणा और विक्रय समझौते के आधार पर उस स्वामित्व के विरुद्ध विशिष्ट पालन की परिणामी डिक्री है।

18. सीपीसी का आदेश VIII, नियम 6A एक प्रतिवादी को प्रति-दावा स्थापित करने में सक्षम बनाता है। उक्त प्रावधान नीचे दिया गया है:

6ए. प्रतिवादी द्वारा प्रति-दावा— (1) किसी वाद में प्रतिवादी, नियम 6 के तहत मुजरा/सेट-ऑफ का अभिवचन करने के अपने अधिकार के अतिरिक्त, वादी के दावे के विरुद्ध प्रति-दावे के रूप में, वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को प्राप्त हुए वाद कारण के संबंध में कोई भी अधिकार या दावा प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वह वाद दायर होने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले या बचाव प्रस्तुत करने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले प्राप्त हुआ हो, और चाहे ऐसा प्रति-दावा क्षतिपूर्ति के दावे की प्रकृति का हो या नहीं:

परन्तु ऐसा प्रति-दावा न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

(2) ऐसे प्रति-दावे का वही प्रभाव होगा जो एक क्रॉस-वाद का होता है ताकि न्यायालय मूल दावे और प्रति-दावे दोनों पर उसी वाद में अंतिम निर्णय सुनाने में सक्षम हो सके।

(3) वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी के प्रति-दावे के उत्तर में एक लिखित कथन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(4) प्रतिदावे को एक वाद के रूप में माना जाएगा और वादियों पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

(बल दिया गया)

19. नियम 6-ए(1) के अनुसार, एक प्रतिवादी लिखित कथन दाखिल करने से पहले वादी के विरुद्ध कोई भी अधिकार या दावा प्रस्तुत कर सकता है, भले ही ऐसा वाद कारण वादी के वाद से असंबंधित हो। एकमात्र सीमा यह है कि प्रति-दावा न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। ऐसे प्रति-दावे को एक क्रॉस-वाद माना जाता है और यह वादों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होता है, जिसमें वाद कारण का खुलासा करने और अपेक्षित कोर्ट फीस का भुगतान करने का दायित्व शामिल है। विधायी आशय यह है कि मूल वाद और प्रति-दावे दोनों को एक ही विचारण/ट्रायल में निपटाने की अनुमति देकर कार्यवाही की बहुलता को टाला जा सके, जिससे लंबे और खिंचे हुए मुकदमेबाजी से बचा जा सके, जैसा कि जग मोहन चावला बनाम डेरा राधा स्वामी सत्संग⁷ के मामले में निर्धारित किया गया था।

20. नियम 6ए यह प्रावधान करता है कि प्रति-दावा वादी के दावे के विरुद्ध होना चाहिए और ऐसा अधिकार या दावा वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को प्राप्त हुए वाद कारण के संबंध में होना चाहिए। इस न्यायालय ने रोहित सिंह (उपरोक्त) मामले में अभिनिर्धारित किया;

“21. सामान्यतः, एक प्रति-दावा, यद्यपि वह वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत किए गए वाद कारण से भिन्न वाद कारण पर आधारित हो, किया जा सकता है। लेकिन, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रति-दावे को अनिवार्य रूप से वाद में वादी के विरुद्ध निर्देशित किया जाना चाहिए, यद्यपि संयोगवश या इसके साथ, वह वाद में सह-प्रतिवादियों के विरुद्ध भी राहत का दावा कर सकता है। लेकिन केवल सह-प्रतिवादियों के खिलाफ निर्देशित प्रतिदावे को बनाए नहीं रखा जा सकता है। प्रति-दावा दायर करके मुकदमेबाजी को किसी प्रकार के अंतरविवाद वाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है.....।”

21. उपरोक्त टिप्पणियों को बाद के निर्णय दामोदर नारायण सावले बनाम तेजराव बाजीराव म्हस्के⁸ में अनुमोदन के साथ दोहराया गया है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

“39. रोहित सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में इस न्यायालय का निर्णय भी उपरोक्त संदर्भ में प्रासंगिक है। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक प्रतिवादी को सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रति-दावा दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6-ए के आधार पर, यह केवल प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे के विरुद्ध ही उठाया जा सकता है।”

22. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 ने मुख्य रूप से एक प्रति-दावा दायर किया, जिसमें मृतक मूल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित 21.10.2011 के समझौते के विशिष्ट पालन की राहत की मांग की गई थी। यह समझौता वादग्रस्त संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 1 के अविभाजित हिस्से के संबंध में था, जिसके तहत नाज़िर, जो प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिस्थापित प्रतिनिधि है, को विक्रय समझौते के अनुसरण में एक विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विशिष्ट पालन की जो राहत उठाई गई है, उसे प्रति-दावे के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अपीलकर्ता/वादी के विरुद्ध निर्देशित नहीं है, बल्कि इसके बजाय यह केवल सह-प्रतिवादी के विरुद्ध निर्देशित है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 को प्रति-दावे के माध्यम से विशिष्ट पालन की प्रार्थना उठाने के लिए अपात्र माना जाता है। यह सीधे तौर पर अनुमेय नहीं है, और इस न्यायालय के रोहित सिंह (उपर्युक्त) के निर्णय के मददेनज़र यह स्थिति अब निःसंदेह नहीं रही है।
23. तथापि, प्रतिवादी संख्या 2 यह प्रस्तुत करता है कि उसने न केवल विशिष्ट पालन की राहत का दावा किया है, बल्कि उसने समझौते के तहत जिस हिस्से का वह हकदार है, उसे अलग करने के लिए वादग्रस्त संपत्ति के विभाजन की भी मांग की है। प्रतिवादी को पहले संपत्ति पर एक दावा अधिकार स्थापित करना होगा, जो अनुपस्थित है⁹ जब तक कि वह प्रतिवादी संख्या 1 की संपदा के विरुद्ध सफल नहीं हो जाता, और उसके बाद ही वादी के विरुद्ध प्रति-दावा स्थापित करने का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए, यह प्रस्तुति कि विभाजन का भी एक दावा है, उसी कारण से विफल होनी चाहिए।
24. **सन्दर्भ:** प्रतिवादी नं. 2 ने वाद-बिंदु/मुद्दे तैयार किए जाने के बाद जवाबी दावा दायर किया: यह सत्य है कि वाद-बिंदु 12.02.2019 को तैयार किए गए थे और प्रति-दावे के लिए आवेदन लगभग दो साल बाद, अर्थात् 26.07.2021 को, दायर किया गया था। हमारे उद्देश्य के लिए, प्रति-दावे को दाखिल करने की समय-सीमा निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करना पर्याप्त है, जिसे इस न्यायालय के अशोक कुमार

कालरा (उपर्युक्त) के निर्णय में संक्षेप में स्पष्ट किया गया है। निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार है¹⁰;

"17. प्रति-दावे को दाखिल करने के लिए समय-सीमा विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है, बल्कि केवल वाद कारण/हेतुक के उत्पन्न होने के संबंध में ही सीमा प्रदान की गई है। जैसा कि उपरोक्त पूर्व निर्णय में उल्लेख किया गया है, आगे की जटिलताएं इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि लिखित कथन में संशोधन की संभावना है। हालांकि, हम यह कह सकते हैं कि किसी वाद में प्रति-दावा दायर करने का अधिकार, आदेश 8 नियम 6-ए के तहत वाद कारण के उत्पन्न होने के लिए लगाए गए प्रतिबंध द्वारा स्पष्ट रूप से सीमित है। ऐसा कहने के बावजूद, इसका यह अर्थ नहीं है कि लिखित बयान दाखिल करने के बाद प्रति-दावा किसी भी समय दाखिल किया जा सकता है। चूंकि प्रति-दावे को वाद-पत्र माना जाता है, इसलिए इसे सामान्य तौर पर सबसे पहले परिसीमन अधिनियम, 1963 के तहत प्रदान की गई समय-सीमा का अनुपालन करना आवश्यक है, क्योंकि समय-बाधित वादों को केवल इस तथ्य के कारण प्रति-दावे के वेश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वाद कारण आदेश 8 नियम 6-ए के मापदंडों के अनुसार उत्पन्न हुआ था।

18. जैसा कि हमने पिछले अनुच्छेदों में चर्चा की है, प्रक्रियात्मक कानून का संपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाए। विशेष रूप से, आदेश 8 सी. पी. सी. में नियम 6-ए को पेश करने का उद्देश्य पक्षों को अलग-अलग मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित करके कार्यवाही की बहुलता से बचना है और यह देखना है कि पक्षों के बीच विवाद का अंत में निर्णय हो। यदि प्रावधान की व्याख्या इस तरह से की जाती है, ताकि प्रतिदावे को देर से दाखिल करने की अनुमति दी जा सके, तो प्रावधान ही निरर्थक हो जाता है और जिस उद्देश्य के लिए संशोधन किया जाता है वह विफल हो जाएगा और अंततः यह न्याय की घोर विफलता की ओर ले जाता है। साथ ही, एक कठोर और अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं हो सकता कि प्रावधान यह निर्धारित करता है कि प्रति-दावे को लिखित बयान के साथ ही दायर किया जाना है और उसके परे, न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं है। न्यायालयों को, प्रति-दावे के समर्थन में बताए गए

कारणों को ध्यान में रखते हुए, संशोधन के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह कहने के लिए कोई कठोर नियम नहीं हो सकता कि प्रति-दावे को किसी विशेष समय में दायर किया जाना है, जिससे न्यायालयों को प्रदान किए गए विवेक को कम किया जा सके। विचारण न्यायालय को न्यायसंगत रूप से विवेक का प्रयोग करना होगा और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि प्रति-दावे को अनुमति देने से, विपरीत पक्षकार को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होती है, और यह न्याय के सर्वोत्तम हित में तथा संशोधन के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुसार है। लेकिन हालांकि, हम इस सुविचारित राय के हैं कि वाद-प्रश्न तैयार होने के बाद और वाद के पर्याप्त रूप से आगे बढ़ने के बाद प्रतिवादी को प्रति-दावा दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगा और त्वरित न्याय के सिद्धांत के लिए हानिकारक होगा, जैसा कि सीपीसी में विशेष संशोधन के उद्देश्यों और कारणों में निहित है।

19 इस संबंध में कानून को स्पष्ट करने के बाद, हम यह ध्यान दे सकते हैं कि महेंद्र कुमार मामले [महेंद्र कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1987) 3 एस. सी. सी. 265] को उस मामले के तथ्यों तक समझा और सीमित किया जाना चाहिए। हम यह ध्यान दे सकते हैं कि भले ही प्रति-दावा परिसीमन अवधि के भीतर दायर किया गया हो, विचारण न्यायालय को त्वरित सुनवाई के अधिकार और प्रति-दावा दायर करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना होगा, ताकि पर्याप्त न्याय विफल न हो। विचारण न्यायालय को प्रति-दावे की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए निहित विवेक प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न विचारों द्वारा सीमित है। हम यह बता सकते हैं कि कोई कठोर या निश्चित सूत्र नहीं हो सकता है, बल्कि प्रति-दावे को स्वीकार करने से पहले कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

20. हम यह ध्यान दे सकते हैं कि कोई भी विपरीत व्याख्या प्रतिवादी के प्रति-दावा दायर करने के अधिकार में अनावश्यक कटौती कर देगी। इस न्यायालय को देश भर में वादियों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को पहचानने की

आवश्यकता है। त्वरित न्याय के प्रशंसनीय लक्ष्य को प्राप्त करना ही एकमात्र साध्य नहीं हो सकता है, बल्कि प्रभावी न्याय को भी मान्यता देने की आवश्यकता है, जिसमें सभी पक्षों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है (संदर्भ: सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन केस [सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन(2) बनाम भारत संघ (2005) 6 एस. सी. सी. 344: ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3353]

21. हम अपने निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करते हैं कि आदेश 8 नियम 6-ए सीपीसी लिखित बयान दाखिल करने के बाद प्रति-दावा दायर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि प्रतिबंध केवल वाद कारण के उत्पन्न होने के संबंध में है। "ऐसा कहने के बावजूद, यह प्रतिवादी को पर्याप्त विलंब के साथ प्रति-दावा दायर करने का पूर्ण अधिकार नहीं देता है, भले ही निर्धारित परिसीमन अवधि समाप्त न हुई हो।" न्यायालय को प्रति-दावा दायर करने की बाहरी सीमा को ध्यान में रखना होगा, जो वाद-प्रश्न तैयार होने तक निर्धारित है। "ऐसे मामलों में न्यायालयों के पास प्रति-दावा दाखिल करने पर विचार करने का विवेक होता है, बशर्ते वे नीचे दिए गए समावेशी कारकों पर विचार करें और उनका मूल्यांकन करें, जो केवल उदाहरणात्मक हैं, हालाँकि संपूर्ण नहीं हैं:

- (i) विलंब की अवधि।
- (ii) वाद हेतुक लिए निर्धारित सीमा अवधि का अनुरोध किया गया।
- (iii) देरी का कारण।
- (iv) प्रतिवादी का अपने अधिकार का दावा।
- (v) मुख्य मुकदमा और प्रतिमुकदमा के बीच वाद हेतुक कारण की समानता।
- (vi) नए मुकदमे की लागत।
- (vii) अन्याय, और प्रक्रिया का दुरुपयोग।
- (viii) विरोधी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह।
- (ix) और प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।
- (x) किसी भी मामले में, वाद-बिन्दुओं/ मुद्दों को तैयार करने के बाद नहीं।"

25 यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी संख्या 2 21.10.2011 के एक समझौते के विशिष्ट पालन की मांग कर रहा है, जिसमें बारह महीनों के भीतर विक्रय विलेख को निष्पादित करने का प्रावधान था। प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसी भी स्थिति में, विक्रय विलेख के निष्पादन की मांग करने के लिए अगली कार्रवाई जनवरी 2012 के ठीक बाद उत्पन्न हुई, जब अपीलकर्ता/वादी ने कथित बिक्री समझौते को रद्द

करने की मांग करते हुए एक वाद दायर किया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने कुछ नहीं किया। अपने विक्रेता की अक्टूबर 2013 में मृत्यु के बाद और फरवरी 2019 में वाद-प्रश्न तैयार होने के बाद ही, प्रतिवादी संख्या 2 ने आवेदन दाखिल करने का निर्णय लिया – यह वाद दायर होने के ठीक नौ साल बाद और वाद-प्रश्न तैयार होने के दो साल बाद हुआ।

- 26 बिक्री समझौते को लागू करने के दावे से उत्पन्न होने वाली जाँच और सुनवाई एक प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणात्मक डिक्री की माँग करने वाले वादी के दावे से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। वह नागरिक उपचार जिसकी अपीलकर्ता मांग कर रहा है, अर्थात्, यह घोषणा कि उसकी भाभी को संपत्ति का हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए बिक्री को रद्द किया जाए, वह सह-प्रतिवादी के विरुद्ध विशिष्ट पालनके लिए प्रति-दावे के माध्यम से प्रयास किए गए नागरिक उपचार से बहुत भिन्न है।
- 27 उपरोक्त के मददेनजर, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ प्रति-दावा दायर करने की अनुमति देकर और वादी के खिलाफ नहीं देकर, विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटने में त्रुटि की। इसलिए, हम एसएलपी (सी) संख्या 5635/2023 से उत्पन्न अपील को अनुमति देते हैं और दिनांक 16.01.2023 को एससीए संख्या 12701 ऑफ 2021 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और निर्णय को खारिज करते हैं।
- 28 लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।
- वाद का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

¹मुख्य बिंदु निधि जैन द्वारा निर्मित

-
- 1 विशेष सिविल आवेदन संख्या 12701/2021 दिनांक 16.01.2023 में
 - 2 प्रदर्श-107/108 दिनांकित 05.08.2021 ओएस संख्या 167/2012 में
 - 3 इसके बाद, सीपीसी
 - 4 (2020) 2 एससीसी 394
 - 5 (2006) 12 एससीसी 734 इसके बाद, "रोहित सिंह"।
 - 6 ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1474
 - 7 (1996) 4 एससीसी 699
 - 8 (2023) 19 एस. सी. सी. 175; सत्येंद्र बनाम सरोज, (2022) 17 एस. सी. सी. 154 देखें
 - 9 मुनिशामप्पा बनाम एम. रामा रेड्डी, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1701
 - 10 अशोक कुमार कालरा बनाम विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री, (2020) 2 एससीसी 394